8. यह कि भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि के उपरान्त तीन वर्ष के अन्दर क्रेता को भूउपयोग अनुसार मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराकर आर्किटैक्चरल कन्ट्रोल्ड ड्रांइग के अनुसार ही निर्माण पूरा कराना होगा। विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष की अनुमति से निर्माण पूरा करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसमें उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। तीन वर्ष की अवधि में अनुमन्य निर्माण पूर्ण कराकर क्रेता को पूर्णतः प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। उक्त अवधि में निर्माण पूर्ण न करने की स्थिति में प्राधिकरण को नियमानुसार लेवी का भुगतान करना होगा अन्यथा भूखण्ड का निबन्धन निरस्तीकरण की कार्यवाही कर दी जायेगी जो क्रेता को मान्य होगी।

9. यह कि किसी भी समय उक्त भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु एक मध्यस्थ को नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद संदर्भित होने के पश्चात् दोनों पक्षकारों को सुनवाई करके अपना निर्णय देगा।

10. यह तय किया जाता है कि क्रेता को समस्त श्रेणी से आय जिसमें उसके पति, पत्नी एंव नाबालिग बच्चों की आय शामिल है, वह मध्यम आय वर्ग/उच्च आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आती है तथा उसके/उसकी/उसके नाबालिग बच्चों के पास इस क्षेत्र में कोई भवन व भूखण्ड नहीं है और वह योजना के नियमों के अनुसार उक्त भूखण्ड को पाने के लिए पात्र है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि वह इस सम्पत्ति को पाने के लिए पात्र व्यक्ति नहीं था तो विक्रेता बैनामे को निरस्त करने का अधिकारी होगा और प्राधिकरण के नियमों व शर्तों के अनुसार भवन अधिग्रहण करने का अधिकार होगा।

11. यह कि इस विक्र य विलेख का मूल्यांकन मय 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड चार्जेज अंकन रू० **41,73,120.00/– (रूपये इक्तालीस लाख तेहत्तर हजार एक सौ बीस मात्र)** पर स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अंकन रू० **2,92,200/– (रू0 दो लाख बान्वे हजार दो सौ मात्र)** का भुगतान 01 ई स्टाम्प सं0 **IN-UP15143198462996U**,दिनांक–03.10.2022 के माध्यम से क्रेता द्वारा किया गया है। क्रेता द्वारा शासनादेश सं0–कर एवं अनुबन्धन अनुभाग–7–440/11–2015–700 (111)/2013 दिनॉक 30 मार्च 2015 के तहत स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। स्टाम्प पत्र क्रेता द्वारा जमा किया गया है और स्टाम्प शुल्क की जिम्मेदारी क्रेता की है।

12. यह कि क्रेता समय–समय पर बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये गये नियमों, विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा।

प्रमाण के रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिए स्वयं अथवा उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी तथा क्रेता ने स्वयं अपने स्वयंचित्त होकर दिनॉक 07/10/22 को हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगायी गई है।

ऊपर संदर्भित विक्रीत भूखण्ड सं0 02 का विवरण–

रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर–2, कावेरी इंक्लेव में आबंटित भूखण्ड सं0–02 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर

कुल क्षेत्रफल – 162.00 वर्ग मी0

पूरब भुजा	– 18.00 मी0 –	पश्चिमी भुजा	– 18.00 मी0
उत्तरी भुजा	– 9.00 मी0 –	दक्षिणी भुजा	– 9.00 मी0

भूखण्ड की सीमाए निम्न है :

पूरब	– भूखण्ड सं0–बी/03	पश्चिम	– भूखण्ड सं0– बी/01
उत्तर	– भूखण्ड सं0–डी/02	दक्षिण	– 9.00 मीटर रोड

सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

Rameshwar Dayal
विक्रेता